फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (शाहपुरा)

रामसूख धाकड़ पिता हीरा धाकड़ नि. रामपुरा

बनाम

लादू पिता खाना धाकड़ नि. रामपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111. 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 440/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म कि तामील में जारी हुये
28/5/2024	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की **ग्राम रामपुरा प. ह. जामोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 121/3,133/1, 134/1, 162/2, 62/4, 97/2, कुल किता 06 रकबा 0.9072 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडीसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक / प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम रामपुरा प. ह. जामोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 121/3,133/1, 134/1, 162/2, 62/4, 97/2, कुल किता 06 रकबा 0.9072 हैक्टेयर** की उमय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पंडेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक:-28 /5 / 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **जहाजपुर (शाहपुरा)**	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/ रीडर / 2024 / ११० /2024 दिनांक :- 26 / 5 /2024

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय प्र. स........१४०......................... /24 अनवान रामसुख पिता हीरा धाकड़ नि. रामपुरा बनाम लादू पुत्रश्री खाना धाकड़ निवासी रामपुरा, छगना पुत्रश्री कल्याण धाकड़ निवासी रामपुरा, रामकरण पुत्रश्री कासीराम धाकड़ निवासी रामपुरा, भूरी पत्नि हीरा गुर्जर निवासी रामपुरा, रामराज पुत्रश्री हीरा धाकड़ निवासी रामपुरा, कालू पुत्रश्री हीरा धाकड़ निवासी रामपुरा, चिंता पुत्रीश्री हीरा धाकड़ निवासी रामपुरा, कनीराम पुत्रीश्री बालू धाकड़ निवासी रामपुरा, बजंरग पुत्रश्री जमना धाकड़ निवासी रामपुरा, रामरतन पुत्रश्री कासीराम धाकड़ निवासी रामपुरा, हरनाथ पुत्रश्री कासीराम धाकड़ निवासी रामपुरा, बरदु पुत्रश्री कासीराम धाकड़ निवासी रामपुरा, राम करण पुत्रश्री कासीराम धाकड़ निवासी रामपुरा, देवकरण पुत्रश्री भागीरथ धाकड़ निवासी रामपुरा, मोती पुत्रश्री राजू गुर्जर निवासी रामपुरा, वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम रामपुरा प. ह. जामोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 121/3,133/1, 134/1, 162/2, 62/4, 97/2, कुल किता 06 रकबा 0.9072 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पंडेर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with OKEN Scanner